न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 18/2024

बउनवान

1. बसन्ती उर्फ ममता आर्य पुत्री रामस्वरूप, जाति खटीक, निवासी मियाड़ा, हाल इटावा जिला कोटा (राज0)
2. सोनू उर्फ सुरेन्द्र उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति खटीक, निवासी मियाड़ा हाल इटावा जिला कोटा (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. इन्द्राबाई पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति खटीक निवासी मियाड़ा हाल इटावा जिला कोटा
2. रूकमणी पुत्री स्व. रामस्वरूप जाति खटीक निवासी मियाड़ा हाल इटावा जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

(रेंस्पोडेंटगण)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 30.06.2000
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री राजेश नागर एडवोकेट (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 06.11.2024

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 30.06.2000 कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 1730/581 रकबा 1.00 है. जिसके नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त मिन नं0 581 थे, के गैर खातेदार रामस्वरूप पुत्र भंवरलाल जाति खटीक थे जिनका देहान्त दिनांक 15.10.1996 को हुआ था। मृतक रामस्वरूप के बेवा इन्द्राबाई, दो पुत्रियां ममता व रूकमणी तथा पुत्र ओमप्रकाश विधिक वारिसान हैं। गैर खातेदार रामस्वरूप की मृत्यु उपरांत नामान्तकरण संख्या 352 बिना किसी जांच के खोला तथा पटवारी द्वारा यह अंकन किया गया कि गैर खातेदार रामस्वरूप फोत हो चुका है मुताबिक वारिस पुत्र सोनू उर्फ सुरेन्द्र आयु 5 वर्ष तथा पुत्री रूकमणी, बसन्ती व इन्द्राबाई बेवा मौजूद है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि मृतक रामस्वरूप के पुत्र सोनू का वास्तविक व दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश है तथा पुत्री बसन्ती का वास्तविक दस्तावेजी नाम ममता आर्य है। इंतकाल में अपीलांटगण का नाम सहवन एवं राजस्व कर्मचारीयों की त्रुटि से गलत दर्ज कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त इंतकाल में गलत नाम दर्ज होने से अपीलांटगण सरकारी सुविधाओं का लाभ नही ले पा रहे है, क्योंकि अन्य समस्त दस्तावेजात में ममता आर्य एवं ओमप्रकाश नाम दर्ज है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 352 दिनांक 30.06.2000 वाके ग्राम मियाड़ा को निरस्त किया जाकर अपीलांटगण का नाम बसन्ती के स्थान पर ममता आर्य तथा सोनू उर्फ सुरेन्द्र के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.20 10:12:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांटगण का नाम समस्त दस्तावेजात में ममता आर्य एवं ओमप्रकाश दर्ज है, लेकिन इंतकाल खोलते समय ममता आर्य के स्थान पर बसन्ती तथा ओमप्रकाश के स्थान पर सोनू उर्फ सुरेन्द्र नाम दर्ज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 352 दिनांक 30.06.2000 वाके माल मियाड़ा को निरस्त किया जाकर अपीलांटगण का नाम बसन्ती के स्थान पर ममता आर्य तथा सोनू उर्फ सुरेन्द्र के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने अपील अपीलांटगण के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा अपील के समर्थन में बसन्ती का वास्तविक व दस्तावेजी नाम ममता आर्य होना तथा सोनू उर्फ सुरेन्द्र का वास्तविक व दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश होने के संबंध में आधार कार्डों की छायाप्रतियां पेश की हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम मियाड़ा का नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 30.06.2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रामस्वरूप पुत्र भंवरलाल जाति खटीक निवासी मियाड़ा के विधिक वारिसान के संबंध में जांच कर पुनः नये सिरे से नामांतकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.20 10:12:14 IST
Reason: SelfAttested